प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक- 21.05.2026

साइबर थाना/साइबर सेल सोनभद्र की बड़ी कार्यवाही, अश्लील/पोर्नोग्राफिक वीडियो सोशल मीडिया शेयर व अपलोड करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में महिला एवं बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा सोशल मीडिया एवं इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर अश्लील/पोर्नोग्राफिक सामग्री अपलोड करने वालों के विरुद्ध सतत निगरानी एवं कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु साइबर सेल/साइबर थाना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) पोर्टल एवं साइबर ट्रिपलाइन प्रणाली (सोशल मीडिया के माध्यम से child Pornography/अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले लोगों एवं बाल यौन शोषण से सम्बन्धित सूचना प्रदेश की कानून व्यवस्था मे लगी एजेन्सियों को सूचना देने का काम करती है।) के माध्यम से सोशल मीडिया पर Child Pornography/अश्लील वीडियो अपलोड किए जाने संबंधी सूचनाएं NCRP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिनमें 02 शिकायतें जनपद सोनभद्र से संबंधित पाई गई।

जांच के दौरान साइबर सेल द्वारा संबंधित यूजर की मोबाइल डिटेल, आईपी डिटेल एवं प्रोफाइल डिटेल प्राप्त की गई, जिसमें अश्लील/पोर्नोग्राफिक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने वाले 02 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं डिवाइस सत्यापन हेतु प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री धीरेन्द्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना दुद्धी एवं थाना ओबरा पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिसमें आज सफलता प्राप्त करते हुए सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर अश्लील/पोर्नोग्राफिक सामग्री अपलोड करने वाले सैफ को दुद्धी कस्बा से व राहुल कुमार को ओबरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सैफ पुत्र खजमुद्दीन निवासी वार्ड नं०-09, रामनगर दुद्धी, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।
2. राहुल कुमार पुत्र रामकिशुन निवासी गुरुद्वारा गली, चोपन रोड ओबरा, थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके मित्रों का एक सोशल मीडिया ग्रुप है, जिसमें इंस्टाग्राम/फेसबुक आदि माध्यमों से एक-दूसरे को वीडियो भेजे जाते थे। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त अश्लील वीडियो अधिक व्यूज प्राप्त करने एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया/वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर अपलोड/शेयर किए जाते थे।

कार्यवाही का विवरण- उक्त सूचना तस्दिक होने व अपलोड में प्रयुक्त डिवाइस व मोबाइल नं0 बरामद किया गया तथा उनके विरुद्ध गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना दुद्धी पर **मु0अ0सं0- 148/2026 धारा 77, 294 बीएनएस व 67A आईटी एक्ट एवं** थाना **ओबरा पर मु0अ0सं0- 112/2026 धारा 77, 294 बीएनएस व 67B आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

* प्र0नि0 धीरेन्द्र कुमार चौधरी, साइबर थाना/साइबर सेल, जनपद सोनभद्र।
* प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।
* प्र0नि0 सदानन्द राय, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।
* चौकी प्रभारी दुद्धी हरिकेश राम आजाद, जनपद सोनभद्र।
* हे0का0 संतोष पटेल, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।
* हे0का0 शिवनन्दन सिंह, का0 अखिलेश यादव, का0 सुनील रावत, का0 अभिषेक तिवारी, साइबर थाना/साइबर सेल टीम, जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक अथवा बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को सोशल मीडिया पर अपलोड, शेयर अथवा फॉरवर्ड न करें। ऐसा करना गंभीर साइबर अपराध की श्रेणी में आता है तथा दोषी पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।